

प्रपत्र-१ (अ)

जनपद

शहरी एवं ग्रामोद्योग सहकारी समितियों के निबंधन हेतु प्रार्थना-पत्र (..... उद्योग)

[प्रस्तावित समिति के पदाधिकारियों द्वारा दी जानै वाली सूचनायें]

१. प्रस्तावित समिति का नाम
२. समिति ग्रामीण क्षेत्र की है या शहरी क्षेत्र की ?
३. केन्द्रीय या प्राथमिक
४. सेवा समिति या उत्पादन समिति
५. जनपद का नाम
६. समिति के मुख्य उद्देश्य
७. प्रत्येक हिस्से का मूल्य
८. उपविधियों के अनुसार किस्तें जिनमें हिस्से की धनराशि का भुगतान सदस्यों द्वारा किया जायेगा
९. समिति का कार्यक्षेत्र (गाँव के नाम अथवा मुहल्ले का नाम)
१०. सदस्यता के लिये निश्चित की गयी योग्यताएं
११. उन व्यक्तियों की संख्या जो समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित हुये हैं :
१२. लिपि जिनमें बहियाँ रक्खी जायेंगी
१३. मुख्य प्रवर्तक तथा सदस्य सचिव का नाम
१४. जिनका निबन्धन होना है :
गाँव/मुहल्ला/गली/मकान नं०
पत्रालय
विकास क्षेत्र
तहसील
जिला

मुख्य प्रवर्तक के हस्ताक्षर

सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

उपरोक्त सूचनायें प्रमाणित
प्रबंधक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ की धारा ६ (२)/(ग) के अनुसार हम सब जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनमें सदस्यता की योग्यता है यह प्रार्थना करते हैं कि समिति का निवन्धन कर दिया जाय। तीन प्रतियाँ आदर्श उपविधियों की संलग्न की जा रही है।

क्र०	सदस्य का नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	स्थायी पता			हस्ताक्षर
					गाँव मोहल्ला म०न०	पोस्ट आफिस	जनपद	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								
१०								
११								
१२								
१३								
१४								
१५								
१६								
१७								
१८								
१९								
२०								

प्रमाणित
मुख्य प्रवर्तक

प्रमाणित
सदस्य सचिव

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सदस्य समिति के कार्य क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं जिनकी जाँच कर ली गई है तथा उनके हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते हैं।

दिनांक २०

प्रबंधक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी